प्ररूप-1क

(नियम 3 देखिए)

(सोसायटी की उप-विधियां)

1. सोसायटी का नाम – **महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन पूर्व छात्र परिषद** होगा।

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक छात्र कल्याण संकाय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन 456010 तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. में स्थित होगा

सोसायटी का मोबाईल क्रमांक …… **एवं ई-मेल आई.डी** ……@gmail.com होगा।

3. सोसायटी का कार्यक्षेत्रः- सम्पूर्ण मध्य प्रदेश

4. **सोसायटी के उद्देश्यः-**

1. विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति तथा विश्वविद्यालय की प्रगति में सहयोग प्रदान करना।
2. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु योजना बनाकर क्रियान्वयन करना।
3. पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने तथा नवीन सामयिक पाठ्यक्रमों के निर्माण के सुझाव प्रस्तुत करना।
4. विश्वविद्यालय के विकासकार्यों हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना।
5. विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा क्रीडासम्बन्धी गतिविधियों को प्रायोजित करना और कराना।
6. प्रतिवर्ष उपाधि पूर्ण कर चुके छात्रों को परिषद् से जोड़ना तथा उनका डाटाबेस बनाना और अद्यतन करना।
7. समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना एवं जन-कल्याण, समाजसेवा के माध्यम से जनचेतना लाने का प्रयास करना।
8. देशभक्ति एवं समाजसेवा की भावना को जाग्रत करने हेतु बहुआयामी कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शनी, सभा तथा संगोष्ठी आदि आयोजित करना।
9. मानव मात्र एवं प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए सभी प्रकार के सार्थक प्रयास करना।
10. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना तथा जनजागृति हेतु प्रयास करना एवं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
11. दिव्यांग एवं असहाय वर्ग को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए मदद करना व शासन के द्वारा इनको दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा इनकी सहायता करना।
12. परंपरागत सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों एवं जीवनशैली तथा कलाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
13. आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से तकनीकी शिक्षा अनुसंधान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं, कम्प्यूटर, बैंक के शिक्षण हेतु कोचिंग, प्रशासकीय सेवा हेतु कोचिंग, मैनेजमेंट एवं अन्य विभिन्न प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था कर छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

14. प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि) के अनुसंधान कार्यों हेतु ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने का मार्गदर्शन देना।
15. समाज में प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के समुचित रखरखाव के कार्यों को प्रोत्साहित करना एवं जनचेतना के कार्य करना।
16. पुरातन एवं अधुनातन अनुसंधान एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का संरक्षण एवं समाज हित में उनका प्रचार-प्रसार करना एवं अन्वेषण द्वारा उनमें समयानुसार आवश्यक तकनीकी सुधार तथा अन्य अद्यतन संशोधन करना।
17. नव एवं विलुप्त हो रहे अनुसंधानों के विकास हेतु आवश्यक संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन करना। साथ ही समाज इनके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित करना।
18. नव अनुसंधान कार्यों में लगे लोगों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करना।
19. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घूमन्तु / अर्द्ध घूमन्तु / विमुक्त जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रमों को संचालित करना।
20. नवयुवकों प्रोत्साहन एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु व्यायाम, योग एवं क्रीड़ा आदि से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना एवं सुविधा हेतु संस्थान संचालित करना।
21. विश्व कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव की स्थापना के लिए व्यापक प्रयास करना।
22. सांप्रदायिक सद्भाव की पुष्टि हेतु धर्मसंसद परिचर्चा उत्सव मिलन आदि विभिन्न आयोजन करना।
23. जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर व्याप्त मतभेदों को दूर करने हेतु सामाजिक एकता के प्रयास करना। साथ ही सभी धर्मों एवं वर्गों में शांति व सद्भाव हेतु सभी के प्रकार के अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से जागृति उत्पन्न कर सामाजिक एकता के सकारात्मक एवं सार्थक प्रयास करना।
24. समाज में व्याप्त कुरीति, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को नष्ट करने हेतु विभिन्न आयोजन करना तथा स्वस्थ व शांतिपूर्ण समाज के निर्माण हेतु विभिन्न प्रयास करना।
25. समाज में जनजागृति हेतु संवाद एवं पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना तथा इस हेतु यथासंभव संस्थान संचालित करना।
26. जन-कल्याण हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए जनजागृति पैदा करना तथा वृक्षारोपण, जैविक एवं आधुनिक पद्धतियों से कृषि को प्रोत्साहन तथा जल संरक्षण के प्रयास करना एवं पर्यावरण चेतना जाग्रत करना।
27. भारतीय नस्ल के पशुधन यथा गौवंश आदि पालतू पशुओं की रक्षा एवं संवर्धन करना एवं गौवंश के उत्पादों पर आधारित कृषि को बढ़ावा देना।
28. वन्य जीव तथा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समग्र समन्वित प्रयास करना।
29. अस्पृश्यता निवारण एवं लिंगभेद उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयास करना।
30. वैदिक साहित्य, प्राचीन भाषा (मुख्यतः संस्कृत) एवं साहित्य तथा ज्योतिष विद्या आदि का संरक्षण करना तथा इन क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान के अवसर उत्पन्न करना तथा देश की विभिन्न भाषा एवं बोलियों के उत्थान हेतु प्रयास करना।

31. राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना हेतु सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य करना।
32. लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं परंपरागत हस्तशिल्प व्यवसाय (दरी, कालीन, तथा रेशम, खादी एवं ऊनी वस्त्र निर्माण, छपाई, रत्नों की कटाई आदि) को प्रोत्साहित करना।
33. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं जन-कल्याण हेतु अन्य ऐसी सभी गतिविधियाँ संचालित करना जिनमें समाज के कल्याण की भावना निहित हो।
34. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं का संचालन करना एवं शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करना।

5. **सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-**

(क) संरक्षक सदस्यः- वह व्यक्ति जो ` 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बाहर किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ख) आजीवन सदस्य:- वह व्यक्ति जो ` 500/- या अधिक का भुगतान करता है,सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) साधारण सदस्य:- वह व्यक्ति जो ` 10/- प्रतिमाह या ` 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है ।

(घ) मानद सदस्य :- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. सदस्यता की प्राप्ति:- प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, प्रबंधकारिणी के समक्ष लिखित रूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

1. डिग्री कक्षाओं में स्वकीय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके छात्र ही परिषद् के संरक्षक/आजीवन सदस्य वन सकेंगे।
2. प्रवेशोपरान्त अन्यत्र प्रवेश आदि के कारण मध्य में अध्ययन से विरत रहे छात्र साधारण सदस्य ही बन सकेंगे। डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र भी साधारण सदस्य रहेंगे।
3. यदि कोई सदस्य पुनः किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसकी सदस्यता उक्त अवधि तक उसकी सदस्यता निलम्बित रहेगी तथा वह प्रवन्धकारिणी का सदस्य नहीं बन सकेगा और न ही साधारण सभा में मतदान कर सकेगा।

7. सदस्यता के लिए अर्हता- सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हता अनिवार्य हैः-

(1) आयु 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए।

(2) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए ।

(3) उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो ।

(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(5) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का पूर्व छात्र/छात्रा हो।

8**. सदस्यता की समाप्ति:-** सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-

(1) मृत्यु हो जाने पर ।

(2) पागल हो जाने पर ।

(3) नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर।

(4) त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो ।

(5) कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय । ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी-

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर ।

(ख) रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख ।

(ग) सदस्यता समाप्ति की तारीख।

10. (क) साधारण सम्मिलन:- ऐसे सदस्य जो कि नियम 5 के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।

(ख) प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन तीन माह में आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन के कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-

(1) पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना ।

(2) सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना ।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना ।

(4) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाए जाए ।

(5) सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना ।

(6) वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे:-

(क) अध्यक्ष- 1, (ख) उपाध्यक्ष -1, (ग) सचिव - 1, (घ) कोषाध्यक्ष -1, (ड.) संयुक्त सचिव -1, (च) सदस्य -2

13. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल- प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नही बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व –

(क) उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है ।

(ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना ।

(ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना ।

(घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना ।

(ड) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाए।

(च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नही की जाएगी।

(छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सभा के समक्ष रखा

जाएगा। संशोधन के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(ज) पूर्व छात्र परिषद की प्रबन्धकारिणी समिति विश्वविद्यालय के अधिनियम में उल्लेखित उद्द्श्यों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। विश्वविद्यालय के शासी निकायों के प्रति यह परिषद् प्रतिबद्ध होगी।

15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयाक मत देने का अधिकार होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. सचिव के अधिकार-

(क) जब भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना।

(ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ग) सोसायटी के समस्त प्रकार के कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए ।

(घ) सचिव, एक समय में ` 50,000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. बैंक खाता- सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम ` 25,000/- रहेंगे।

21. रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी की वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

22. संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा,यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. विघटन- सोसायटी के उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

24. सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

25. विवाद- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप विधियों के रूप् में स्वीकार करते हैं।